2017/00536

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सहीराम लाडुनां (निवासी चक 5 एस.एल.डी.) हाल निवासी वी.पी.ओ.महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर : ब ना म : सहा.लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 266/17	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

13.12.17

1. पत्रावली पेश हुई। ना तो अपीलार्थी उपस्थित है एवं ना ही प्रत्यर्थी की तरफ से कोई उपस्थित है।

2. अपीलार्थी ने अपील में अंकित किया है कि उसके द्वारा आवेदन–पत्र दिनांक 16.9.17 में वर्णित सूचना उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर अपील प्रस्तुत की गई है, जो स्वीकार फरमाई जा कर वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ ने जवाब क्रमांक 1843 दिनांक 30.11.17 में अंकित किया है कि अपीलार्थी के आवेदन–पत्र के निस्तारण के संबंध में कार्यालय हाजा के पत्रांक 1788 दिनांक 17.10.17 से कार्यवाही की जा कर अपीलार्थी को सूचित किया गया है। अपीलार्थी के आवेदन–पत्र का निस्तारण कर दिया गया है। प्रस्तुत जवाब की प्रति अपीलार्थी को जरिये डाक भेजी जाचुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ द्वारा अपीलान्ट को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

5. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर